न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 165/2016

1. गुरसाहब सिंह पुत्र छोटूसिंह पुत्र धन्नासिंह जाति मजहबी निवासी गुरूसर 2 डब्लयू तहसील करणपुर हाल 13 केडब्लयूएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
2. परमजीतकौर पत्नी छोटूसिंह
3. जरनेलकौर उर्फ बलजीतकौर पुत्री धन्नासिंह
4. अवतारकौर उर्फ जसपालकौर पुत्री धन्नासिंह अकवाम मजहबी निवासी गुरूसर (2 डब्लयू) तहसील करणपुर हाल 13 केडब्लयूएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बजरिये मुख्तयारआम गुरसाहबसिंह पुत्र छोटूसिंह पुत्र धन्नासिंह जाति मजहबी निवासी गुरूसर (2 डब्लयू) तहसील करणपुर हाल 13 केडब्लयूएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना।

—— रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना दिनांक 30.06.1982

उपस्थितिः—

श्री अजय तनेजा , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 21.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मु. अनूपगढ के आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा धन्नासिंह को आवंटित भूमि चक 13 के डब्लू एम के मु.न. 113/01 की 25 बीघा भूमि का कब्जा नहीं लेने से खारिज किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित का आवंटन खारिज करने से पूर्व धन्नासिंह एवं उसके वारिसान को कोई नोटिस नहीं दिया गया । धन्नासिंह की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि अपीलार्थीगण जो कि धन्नासिंह के वारिस है, काबिज चले आ रहे है । किश्तों की राशि जमा कराने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का बताया गया है। आवंटन अधिकारी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने से आवंटन खारिज किया गया है। जबकि धन्नासिंह के वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त विवादित भूमि का आवंटन बहाल किया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया अपीलार्थीगण ने यह अपील आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2016 को लगभग 33 साल बाद पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है इसके अलावा अपीलार्थीगण ने भी अधी.न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2016 को पेश किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने पिछले 32–33 सालों तक अपने आवंटन बहाली की क्या कार्यवाही की स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा मौका पर कब्जा काश्त का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील मियाद एवं गुणावगुण के आधार पर अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2016 को लगभग 33 साल देरी से पेश की है देरी को माफ कराने के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये है वह सन्तोष जनक नहीं होने से एवं इतने

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विलम्ब को माफ कराने के पर्याप्त आधार नहीं है। अपीलार्थीगण ने अधी. न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर किश्तों की राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र खारिज होने के आधार को लेकर मियाद अन्दर अपील मानने का निवेदन किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का निवेदन किया है किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त माना जा सके । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर